3934
16-11-2016

मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान (नया प्रस्तावित नाम राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान) के अन्तर्गत पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी की पंचम बैठक

दिनांकः 28 अक्टूबर, 2016 का कार्यवृत्त

स्थानः मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के एनेक्सी स्थित सभाकक्ष में

समयः अपराहन 12.00 से 12.30 बजे तक

मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान के अन्तर्गत पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी की पंचम बैठक दिनांक 28 अक्टूबर, 2016 को उनके एनेक्सी स्थित सभाकक्ष में सम्पन्न हुई।

बैठक में अधिकारियों की उपस्थिति निम्नवत् रही।

क0सं0	नाम	पदनाम	कार्यालय
1	सर्वश्री राहुल भटनागर	मुख्य सचिव	उत्तर प्रदेश शासन।
2	श्री चंचल कुमार तिवारी	प्रमुख सचिव	पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3	श्री सुशील कुमार मौर्य	विशेष सचिव	पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
4	श्री सरयू प्रसाद मिश्र	विशेष सचिव	वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
5	श्री यू0बी0 त्रिपाठी	विशेष सचिव	बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6	श्री जी0पी0 कमल	विशेष सचिव	आई0सी0डी0एस0, उ0प्र0 शासन।
7	श्री केदार नाथ	विशेष सचिव	समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन ।
8	डॉ0 हरिश चन्द्र	ओ0एस0डी0 (विशेष सचिव)	ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
9	श्री रवीन्द्र नाथ सिंह	संयुक्त सचिव	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
10	श्री एम0बी0 सिंह	संयुक्त सचिव	आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
11	श्री एम0पी0 भारती	अपरसचिव	आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
12	श्री प्रवीन कुमार	डी0जी0एम0	यू0पी0एल0सी0, लखनऊ।
13	श्री अनिल कुमार दमेले	निदेशक	पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।
14	डॉ0 ग्यान प्रकाश	निदेशक	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0।
15	श्री महेन्द्र कुमार	संयुक्त निदेशक	रा0पो0 आयोग।
16	श्री एस0 एन0 सिंह	उपनिदेशक (पं0)	पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।
17	श्री सुमित त्रिपाठी	तकनीकी निदेशक	एन0आई0सी0, लखनऊ।
18	श्री आनन्द श्रीवास्तव	वैज्ञानिक–डी	एन0आई0सी0, लखनऊ।
19	श्री एस0 एन0 श्रीवास्तव	मुख्य सचिव के स्टाफ अधिकारी	उ0प्र0 शासन।

2459

उप निदेशक (पं0) (श्री सिंह)

(एस0 एन0 सिंह)
उप निदेशक (पं0)

निदेशक
16/11/16

...म्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए–

एजेण्डा बिन्दु	बैठक में लिए गए निर्णय
...जना अन्तर्गत गत वर्षों में प्राप्त धनराशि के सापेक्ष व्यय की अद्यतन स्थिति– (धनराशि करोड़ में)	पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी संज्ञानित हुई।

धनराशि करोड़ में

क्र	वर्ष	वर्ष में प्रारम्भिक अवशेष	भारत सरकार से प्राप्त धनराशि	राज्य सरकार से प्राप्त धनराशि	कुल प्राप्त धनराशि	व्यय की गई धनराशि	अवशेष धनराशि
1.	2012-13	0.000	4.770	1.592	6.360	0.000	6.36
2.	2013-14	6.360	42.370	12.760	55.13	6.270	55.22
3.	2014-15	55.220	0.000	0.000	0.00	12.48	42.740
4.	2015-16	42.740	11.000	0.000	11.00	34.31	19.430
5.	2016-17	19.430	39.870	0.000	39.870	1.164	58.136
कुल योग			**98.010**	**14.352**	**112.360**	**54.224**	**58.136**

एजेण्डा बिन्दु–1–पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी की चतुर्थ बैठक दिनांक 23/05/2016 में लिए गये निर्णयों के परिपालन की स्थिति।

एजेण्डा बिन्दु	बैठक में लिए गए निर्णय	निर्णयों के परिपालन की स्थिति	बैठक में लिए गए निर्णय
एजेण्डा बिन्दु–1, बिन्दु सं0 1 में 8,000 लैपटॉप का क्रय	निर्णय–1–यू0पी0एल0सी0 को लैपटॉप उपलब्ध कराने की समस्त कार्यवाही दो माह में पूर्ण करने के निर्देश।	• यू0पी0एल0सी0 द्वारा संस्था Acer चयनित। • प्रथम किश्त के रूप में 60 प्रतिशत धनराशि यू.पी.एल.सी. को हस्तान्तरित।	पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी संज्ञानित हुई।
एजेण्डा बिन्दु–2, कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 की कार्ययोजना भारत सरकार को भेजा जाना।	निर्णय सं0–1–वर्ष 2016–17 की कार्ययोजना भारत सरकार को भेजने हेतु अनुमोदित	भारत सरकार को वर्ष 2016–17 हेतु कार्ययोजना माह मई में प्रेषित् की गई।	पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी संज्ञानित हुई।
	निर्णय सं0–2–OSR हेतु प्रस्तावित प्रशिक्षण के साथ–साथ पंचायत राज एक्ट की धारा–37 में प्रस्तावित संशोधन के सापेक्ष Rules, Models Templates, Contracts & By Laws निर्मित करने पर समिति द्वारा निर्देशित	प्रस्तावित संशोधन के सापेक्ष Rules Models Templates, Contracts & By Laws निर्मित कर शासन को प्रेषित है।	पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी संज्ञानित हुई।

	किया गया।		
	निर्णय सं0–3– Training मद में प्रस्तावित PMU में अपर निदेशक तथा संयुक्त निदेशक के पद सृजन का प्रस्ताव योजना के राज्यांश व्यवस्था हेतु प्रस्तुत होने वाले प्रस्ताव के साथ तैयार कराकर मा0 मंत्रीमंडल से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए गए।	अपर निदेशक तथा संयुक्त निदेशक के पद के साथ राज्यांश व्यवस्था हेतु प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।	1. पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी संज्ञानित हुई। 2. समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि चूंकि पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट) में शासन स्तर से प्रशिक्षण हेतु पद सृजित किए जा चुके है अतः इस पर अलग से प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता नही है।
	निर्णय सं0–4– समिति द्वारा कार्ययोजना के आई0ई0सी0 मद में रेडियों जिंगल को भी सम्मिलित करने के निर्देश दिए गए।	आई0ई0सी0 मद में रेडियों जिंगल का कार्य पर ड्रॉफ्ट तैयार किया जा रहा है।	पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी संज्ञानित हुई।
एजेण्डा बिन्दु–3: कार्ययोजना की कुल लागत के 40 प्रतिशत (राज्यांश के रूप में) में सम्मिलित की जा सकने वाली राज्य की योजनाओं पर चर्चा।	निर्णय सं0–2– 43 डी0पी0आर0सी0 के लिए स्थल के चिन्हांकन एवं चयन का कार्य जिलाधिकारी द्वारा कराए जाने पर समिति द्वारा समिति प्रदान की गई।	स्थल चिन्हांकन हेतु जनपदों को निर्देश भेजा गया जिसके क्रम में 2 जनपदों (अमेठी, सोनभद्र) से स्थल चिन्हांकित कर निदेशालय को उपलब्ध कराया गया। आर.ई.एस. से मानकीकरण प्रक्रियाधीन।	पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी संज्ञानित हुई।

एजेण्डा बिन्दु–2 योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यों की प्रगति–

1. ग्राम पंचायत विकास योजना अन्तर्गत 616 मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षित् किया जा चुका है, एवं प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित एवं सम्बन्धित को प्रेषित।
2. आई0ई0सी0 अन्तर्गत ग्राम पंचायत विकास योजना की मार्ग निर्देशिका की 50,000 प्रतियों मुद्रित एवं सम्बन्धित को प्रेषित की जा रही है।
3. प्लान–प्लस एवं एक्शन सॉफ्ट सॉफ्टवेयर पर सभी DDs, DPROs, BDOs & Computer Operators का प्रशिक्षण सम्पन्न।
4. योजना अन्तर्गत कुल धनराशि रू0 6449.64 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 5307.53 लाख (82.3 प्रतिशत) का उपभोग प्रमाण–पत्र भारत सरकार को प्रेषित्।

1. पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी संज्ञानित हुई।
2. क्र.सं.–4 के सापेक्ष यह निर्णय लिया गया कि लैपटॉप मद में शेष धनराशि यू.पी.एल.सी. को अवमुक्त कर पूर्व वर्षों की धनराशि के सापेक्ष शत–प्रतिशत उपभोग प्रमाण–पत्र भारत सरकार को प्रेषित किया जाए।

निदेशालय में इंटरनेट एवं वाई–फाई सुविधा की स्थापना।

एन0आई0सी0 में हेल्प डेस्क की स्थापना।

7. 72 जनपदों में जनपद स्तरीय प्रशिक्षण सम्पन्न हो चुका है एवं शेष 04 में कार्य प्रगति पर है। (मेरठ, ललितपुर, बहराइच)

8. 49 जनपदों में खण्ड स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया है एवं शेष में प्रक्रियाधीन है।

9. समस्त जनपदों में ग्राम सभा का आयोजन किया जा चुका है।

10. वर्ष 2016–17 में 56800 ग्राम पंचायतों की योजनाएं प्लान–प्लस पर अनुमोदित।

एजेण्डा बिन्दु–3– योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 हेतु दिनांक 14.09.2016 को स्टेट रिव्यू कमेटी की बैठक के क्रम में क्रियान्वयन हेतु रणनीति–

वर्ष 2016–17 की अनुमोदित कार्ययोजना पर चर्चा।

1. भारत सरकार को वर्ष 2016–17 की कार्ययोजना का प्रस्ताव– रू. 217.21 करोड़
2. भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 हेतु अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना – रू. 118.5911 करोड़
3. कार्ययोजना की गतिविधियों का विवरण निम्नवत् हैं :–

धनराशि लाख रू. में

A	**Session-1 Carry over activities 2015-16**	**5057.37**	-
B	**Session-2-Capacity Building GPDP Activity**	**6619.421**	**6619.421**
	A-1 . Carry over activities	3573.48	3573.48
	B-2. New Activity	3045.941	3045.941
C	**Session-2-Capacity Building non-GPDP activities**	**2983.489**	**2339.39**
	B-1. Carry over activities	Not proposed	Not proposed
	B-2. New Activities	2983.489	2339.39
D	**Session-3 -Institutional Infrastructure**	**9170.00**	**2290.00**
	Non recurring Cost (1 SPRC @ 1 Cr. & 43 DPRC 2 Cr.)	8700.00	2000.00 for 10 DPRC@2 Cr/
	Recurring Cost (1 SPRC & 43 DPRC)	470.00	290.00 for 1 SPRC & 25 DPRC
E	**HR cost of E-Governance (TSG), Help Desk & 18 Divisional DPMs, rest from**	**102.00**	**102.00**

3. क्र.सं.–7 के सापेक्ष जनपद मेरठ ललितपुर एवं बहराइच जहाँ जी.पी.डी.पी. के जनपद स्तरीय प्रशिक्षण नहीं कराये गये हैं, वहाँ के जिलाधिकारी को पुनः अनुस्मारक पत्र प्रेषित किया जाए।

1. पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी संज्ञानित हुई।

2. भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 की कार्ययोजना के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में प्राप्त धनराशि रू0 39.87 करोड़ को अतिशीघ्र आर.जी.पी.एस.ए. के राज्य स्तरीय खाते में हस्तान्तिरत किए जाने की संस्तुति प्रदान की गई।

3. समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त धनराशि आर0जी0 पी0एस0 अन्तर्गत अनुमोदित कार्यो हेतु प्राप्त हुई है, अतः प्रिट द्वारा, निर्धारित तिथि के अन्दर धनराशि हस्तान्तिरत न किए जाने की स्थिति में उक्त धनराशि पर

	State Scheme			अर्जित ब्याज सहित धनराशि, आर0जी0 पी0एस0ए0 के राज्य स्तरीय खाते में वापसी करनी होगी।
	Project Cost(A-D)	20301.49	11350.00	
G	PMU (approx 5% of Project Cost E) include PMU & 75 DPMs & miscellaneous expenses	1035.37599	394.80	
H	IEC @ 2% of Project Cost E	406.0298	113.50 (IEC @ 1%)	
	Total Project Cost	21742.89579	11859.11	

नोट–

- रू0 13562.573 लाख का बजट अनुमोदित, परन्तु रू0 11859.11 लाख का बजट विवरण।
- राज्य स्तर पर महिला मुद्दों एवं सशक्तीकरण पर प्रशिक्षण की मांग रू0 16.65 लाख के सापेक्ष रू0 6.65 लाख स्वीकृत।
- 25 डी0पी0आर0सी0 पर सहमति व्यक्त करते हुए इस वर्ष निर्माण हेतु 10 डी0पी0आर0सी0 को स्वीकृत, जबकि फैकल्टी सपोर्ट समस्त 25 डी0पी0आर0सी0 हेतु करते हुए 10 लाख प्रति डी0पी0आर0सी0 स्वीकृत किया गया है, इन डी0पी0आर0सी0 को किराए में चलाने हेतु कोई अतिरिक्त व्यय स्वीकृत नही किया गया है।
- प्लान साइज का 5 प्रतिशत कार्यक्रम प्रबंधन हेतु नहीं दिया गया है।

एजेण्डा बिन्दु–3– (4) राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान की वर्ष 2016–17 की कार्ययोजना के क्रियान्वयन हेतु गतिविधिवार रणनीति पर चर्चा।

धनराशि रू0 लाख में

(1) वर्ष 2016–17 में गतवर्षों की कैरीओवर गतिविधियॉं–

क्र0	गतिविधियॉं	विवरण	रणनीति	स्टेट रिव्यू कमेटी द्वारा लिए गए निर्णय	
1.	नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों प्रधान के अतिरिक्त अन्य वार्ड सदस्यों का खण्ड स्तरीय दो दिवसीय प्रशिक्षण	No. 355348X2 DaysX@500= Rs.3553.48	जी0पी0डी0पी0 के जनपद स्तरीय खाते में धनराशि हस्तान्तिरत कर जनपद स्तरीय मास्टर ट्रेनरों के माध्यम से, अक्टूबर माह में कार्य पूर्ण कराया जाना।	समिति द्वारा सहमति प्रदान की गई।	पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी संज्ञानित हुई। एवं सहमति प्रदान की गई।
2.	प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास	5 lakhs	ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न विभागीय कर्मियों एवं प्रतिनिधियों हेतु आवश्यक प्रशिक्षण संदर्भ साहित्य का विकास, गिरी अध्ययन एवं विकास संस्थान की सहायता से विकसित किया जा चुका है एवं विभाग को 2000 प्रतियॉं	समिति द्वारा सहमति प्रदान की गई।	पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी संज्ञानित हुई। एवं सहमति प्रदान की गई।

		भी सौंपी जा चुकी है।		
3.	प्रशिक्षण पर ट्रेनिंग साहित्य फिल्म एवं इलेक्ट्रानिक साहित्य के साथ–वर्ष में एक बार	10 lakhs	• वर्ष 2016–17 की कार्ययोजना की अनुमोदित गतिविधि पर गिरी अध्ययन एवं विकास संस्थान द्वारा कार्य किया जा रहा है, एवं 4 जनपदों में रिसर्च का कार्य किया जा रहा है एवं उक्त कार्य हेतु व्यय धनराशि एच0आर0फॉर ई गवर्नेंस मद (कार्यक्रम प्रबंधन मद) से व्यय की गई थी, अतः भारत सरकार से इस मद में धनराशि प्राप्ति पर धनराशि एच0आर0फॉर ई गवर्नेंस मद में वापस किया जाना प्रस्तावित है।	समिति द्वारा क्रम सं. –3 से 4 तक सहमति प्रदान की गई।	1. पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी संज्ञानित हुई एवं सहमति प्रदान की गई। 2. क्र.सं.–4 पर प्रशिक्षण की आवश्यकताओं पर समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष की प्रशिक्षण आवश्यकताओं हेतु ट्रेनिंग नीड एसेसमेंट एक आवश्यक प्रक्रिया है, इसको प्रत्येक वर्ष किया जाना चाहिए।
4.	प्रशिक्षण आवश्यकताओं का आंकलन (ट्रेनिंग नीड एसेसमेंट)	5 lakhs			

(2) वर्ष 2016–17 हेतु नवीन प्रस्तावित गतिविधियॉ(जी0पी0डी0पी0)–

1.	राज्य स्तर पर 521 मास्टर ट्रेनरों का 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	57.831 lakhs	1. राज्य स्तर पर 521 मास्टर ट्रेनरों का 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्यमिता विकास संस्थान द्वारा कराया जा रहा है 521 के सापेक्ष 341 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। 2. उक्त कार्य हेतु व्यय धनराशि एच0आर0फॉर ई गवर्नेंस मद (कार्यक्रम प्रबंधन मद) से व्यय की गई थी, अतः भारत सरकार से इस मद में धनराशि प्राप्ति पर धनराशि एच0आर0फॉर ई गवर्नेंस मद में वापस किया जाना प्रस्तावित है।	समिति द्वारा क्रम सं. –1 पर सहमति प्रदान की गई।	1. पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी संज्ञानित हुई। 2. प्रशिक्षण कार्य में व्यय की गई धनराशि को एच.आर.फॉर. ई–गवर्नेंस मद (कार्यक्रम प्रबंधन मद) में वापस करने पर सहमति प्रदान की गई।

	ग्राम पंचायत स्तर पर टास्क फोर्स का प्रशिक्षण (प्रत्येक ग्राम पंचायत के 5 सक्रिय सदस्यों का दो दिवसीय प्रशिक्षण)	2953.65 (Unit 295365@500 /d)	इस सम्बंध में अवगत कराना है कि गत वर्ष, प्रतिनिधियों के प्रषिक्षण हेतु लैपटॉप मद की धनराषि व्यय की गई थी। चूंकि लैपटॉप मद में धनराशि कम है एवं यू0पी0एल0सी0 द्वारा धनराशि की मॉग की गई है, अतः प्रस्ताव है कि प्रशिक्षण की धनराशि को लैपटॉप मद में व्यय कर लिया जाए, जिसकी प्रतिपूर्ति लैपटॉप मद की धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होने पर कर ली जाएगी। धनराशि प्राप्ति पर जनपदों की ग्राम पंचायतों में 5 सक्रिय सदस्य का चयन एवं तत्पश्चात् जनपदों को उनको प्रशिक्षण हेतु धनराशि अवमुक्त किया जाना है जो कि पूर्व प्रशिक्षित् मास्टर ट्रेनरों की सहायता से आयोजित किए जाने प्रस्तावित है। (धनराशि रू0 9.50 करोड़ लगभग)	समिति द्वारा क्रमांक–2 पर यह निर्णय लिया गया कि लैपटॉप की धनराशि जिस मद में व्यय की गई थी उसी मद से लैपटॉप की अवशेष धनराशि की प्रतिपूर्ति कर ली जाए। * अभी इस प्रशिक्षण पर कार्यवाही नहीं की जाए	1. पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी संज्ञानित हुई। 2. ग्राम पंचायत स्तर पर टास्क फोर्स के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि चूंकि पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पूर्व से ही ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण प्रस्तावित है।* अतः इस प्रशिक्षण आयोजन में व्यय की जाने वाली धनराशि से जनपद स्तर पर रिसोर्स सेन्टर के संरचनात्मक ढांचे के निर्माण हेतु मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन की ओर से भारत सरकार से इस सम्बन्ध में मद परिवर्तन हेतु निवेदन कर लिया जाए। 3. प्रशिक्षण कार्य में लैपटॉप की धनराशि व्यय के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि लैपटॉप की धनराशि जिस मद में व्यय की गई थी उसी मद से लैपटॉप की अवशेष धनराशि की प्रतिपूर्ति कर ली जाए।
3.	कन्वर्जेंस हेतु राज्य स्तरीय कार्यशाला एवं मीडिया वर्कशॉप(2 एक दिवसीय कार्यशालाएं)	2.96 lakhs (80 usit@1850/p /d)	अनुमोदित धनराशि की उपलब्धता पर कार्यशालाएं माह सितम्बर 2016 में प्रस्तावित की जा सकती है।	समिति द्वारा 3 एवं 4 कमांक पर सहमति प्रदान की गई।	पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी संज्ञानित हुई एवं सहमति प्रदान की गई।

	7 दिवसीय एक्सपोजर विजिट 3 राज्यों में–केरल, तेलंगाना एंव झारखंड में 15 सदस्यों हेतु।	31.50 (for 45p@10,000 /d)	प्रथम विजिट हेतु केरल राज्य में जी0पी0डी0पी0 की प्रक्रिया का अवलोकन प्रस्तावित है।	केरल राज्य में 10 पंचायत प्रतिनिधियों सहित 15 सदस्यीय समूह द्वारा भ्रमण दिनांक 20 से 26 अक्टूबर 2016 तक पूर्ण किया गया।	पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी संज्ञानित हुई एवं सहमति प्रदान की गई।

(3) जी0पी0डी0पी0 के अतिरिक्त वर्ष 2016–17 हेतु नवीन क्षमता संवर्द्धन गतिविधियॉं–

1.	जनपद स्तर पर खण्ड के एकाउन्टेंट एवं डाटा इन्ट्री आपरेटर का प्रशिक्षण (ए0डी0ओ0, एकाउन्टेंट एवं सेकेट्री हेतु 2 दिवसीय लेखा पर प्रशिक्षण)9642 सं0	144.63 lakhs	इस सम्बंध में पृथक से शासनादेश के माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा कि प्रशिक्षण मंडल स्तर पर सम्बन्धित मंडलीय स्तरीय समिति के मार्गदर्शन में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के पश्चात् आयोजित कराया जाना प्रस्तावित है।		पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी संज्ञानित हुई एवं सहमति प्रदान की गई।
2.	राज्य स्तर पर महिला प्रतिनिधियों एवं ओ0एस0आर0के प्रशिक्षण हेतु 3 दिवसीय प्रशिक्षिकों का प्रशिक्षण का आयोजन– कुल 300 प्रतिभागी	6.65 lakhs (supposed to be Rs. 16.65 lakhs)	अनुमोदित धनराशि की उपलब्धता पर यह प्रशिक्षण, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से जी0पी0डी0पी0 प्रक्रिया में सम्मिलित, पूर्व प्रशिक्षित् प्रशिक्षिकों के माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित है। प्रिट में स्थल की अनुपलब्धता की दशा में प्रशिक्षण उद्यमिता विकास संस्थान मे कराए जाने का प्रस्ताव है।	समिति संज्ञानित हुई तथा समिति द्वारा क्रमांक–1 से 10 तक के राज्य स्तर के प्रशिक्षण हेतु पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट) को तथा मण्डल/जनपद स्तर पर डी.पी. आर.सी. को वरीयता दी	पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी संज्ञानित हुई एवं सहमति प्रदान की गई।
3.	महिला प्रतिनिधियों हेतु तीन दिवसीय लिंगीय समानता एवं सशकतीकरण पर क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम– 24837 चयनित महिला प्रतिनिधि	558.83 lakhs (@750/p/d)	इस सम्बंध में पृथक से शासनादेश के माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा कि प्रशिक्षण क्षेत्रीय स्तर पर सम्बन्धित मंडलीय स्तरीय समिति के मार्गदर्शन में राज्य स्तरीय प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के पश्चात् आयोजित कराया जाना प्रस्तावित है।		पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी संज्ञानित हुई एवं सहमति प्रदान की गई।

	ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी का ओ0एस0आर0पर दो दिवसीय खण्ड स्तरीय प्रशिक्षण– 67073	670.73 lakhs (@500/p/d)	इस सम्बंध में प्रशिक्षण की धनराशि जिला पंचायत राज अधिकारी के जनपद स्तर खाते में उपलब्ध कराई जानी प्रस्तावित है, प्रषिक्षण, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के पश्चात् आयोजित कराया जाना प्रस्तावित है।	जायेगी एवं प्रिट/डी.पी.आर.सी. की अनुप्लब्धता की दशा में आवश्यकतानुसार एस.आई.आर.डी./ आर.आई.आर.डी./ डी.	पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी संज्ञानित हुई एवं सहमति प्रदान की गई।
5.	जनपद स्तर पर न्याय पंचायत स्तर के कम्प्यूटर आपरेटर का 6 दिवसीय पी0ई0एस0 एप्लीकेशन पर प्रशिक्षण – 8135	366.07 lakhs (@750/p/d)	इस सम्बंध में पृथक से शासनादेश के माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा कि प्रशिक्षण, मंडल स्तर पर सम्बन्धित मंडलीय स्तरीय समिति के मार्गदर्शन में कराया जाना प्रस्तावित है।	आई.आर.डी./ उद्यमिता विकास संस्थान/ गिरी विकास संस्थान/ एन.आई.ई.एल.आई.टी./ प्रदेश की नोडल आई.टी.	पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी संज्ञानित हुई एवं सहमति प्रदान की गई।
6.	खण्ड स्तर पर सेक्रेटरी हेतु 4 दिवसीय पी0ई0एस0 एप्लीकेशन पर प्रशिक्षण–8000	160.00 lakhs(500/p/d)	खण्ड स्तरीय प्रशिक्षण की धनराशि जिला पंचायत राज अधिकारी के जनपद स्तर खाते में उपलब्ध कराई जानी प्रस्तावित है तथा आयोजन आवश्यकतानुसार जनपद में उपलब्ध आर0आई0आर0डी अथवा डी0आई0आर0 डी0 की सहायता से किया जाना प्रस्तावित है।	एजेन्सीज/ अन्य किसी सरकारी संस्थान से कराये जाने पर सहमति प्रदान की गई।	पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी संज्ञानित हुई एवं सहमति प्रदान की गई।
7.	जनपद स्तर पर ए0डी0ओ0–पं0 का 2 दिवसीय पी0ई0एस0 एप्लीकेशन पर प्रशिक्षण – 821	12.31 lakhs (750/p/d)	इस सम्बंध में पृथक से शासनादेश के माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा कि प्रशिक्षण मंडलीय उपनिदेशक–पं0 के मार्गदर्शन में मंडल स्तर पर आयोजित कराया जाना प्रस्तावित है		पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी संज्ञानित हुई एवं सहमति प्रदान की गई।
8.	खण्ड स्तरीय एकाउन्टेंट की जनपद स्तर पर प्रिया साफ्ट पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण।	12.31 lakhs (750/p/d)	खण्ड स्तरीय प्रशिक्षण की धनराशि जिला पंचायत राज अधिकारी के जनपद स्तर खाते में उपलब्ध कराई जानी प्रस्तावित है तथा आयोजन आवश्यकतानुसार जनपद में उपलब्ध आर0आई0आर0डी अथवा		पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी संज्ञानित हुई एवं सहमति प्रदान की गई।

			डी0आई0आर0 डी0 की सहायता से किया जाना प्रस्तावित है।		
9.	खण्ड स्तर पर समस्त प्रधानों को पी0ई0एस0 एप्लीकेशन का प्रशिक्षण।	295.365 lakhs (59073 unit @500/p/d)	खण्ड स्तरीय प्रशिक्षण की धनराशि जिला पंचायत राज अधिकारी के जनपद स्तर खाते में उपलब्ध कराई जा सकती है तथा आयोजन आवश्यकतानुसार जनपद में उपलब्ध आर0आई0आर0डी अथवा डी0आई0आर0 डी0 की सहायता से किया जाना प्रस्तावित है।		पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी संज्ञानित हुई एवं सहमति प्रदान की गई।
10.	5000 ग्रेजेएट अथवा उच्च शिक्षा प्राप्त प्रधानों की 3 दिवसीय बेसिक कम्प्यूटर ट्रेनिंग (प्रशिक्षण एस0सी0एस0टी0 के प्रतिनिधियों, महिला प्रधानों एवं उन पंचायतों के प्रतिनिधियों को प्राथमिकता दी जाएगी जहाँ नेट की उपलब्धता है।	112.50 lakhs (750/p/d)	प्रशिक्षण मंडलीय उपनिदेशक–पं0 के मार्गदर्शन में मंडल स्तर पर आयोजित कराया जाना प्रस्तावित है। इस कार्य हेतु जनपद के एन0आई0सी0 सेल अथवा आवश्यकतानुसार जनपद में उपलब्ध आर0आई0आर0डी अथवा डी0आई0आर0 डी0 की सहायता से किया जाना प्रस्तावित है।		पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी संज्ञानित हुई एवं सहमति प्रदान की गई।

(4) डी0पी0आर0सी0 संस्थागत ढ़ाचागत व्यवस्था–

1	10 डी0पी0आर0सी0 भवन आवश्यक संसाधनों सहित, का निर्माण प्रति भवन लागत 2 करोड़ अनुमोदित।	2000 lakhs	• 25 जनपद जहॉ एस0आई0 आर0डी0 के सेंटर नही में से 10 डी0पी0आर0सी0 निर्माण हेतु जनपद / मंडल का चयन हेतु उन मंडलों को प्राथमिकता दी जानी है जहॉ एस0आई0 आर0 डी0 एवं डी0आई0आर0डी0 द्वारा सेंटर संचालित नही किए जा रहें है। • इस सम्बंध में पृथक से शासनादेश के माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके अनुसार जी0पी0डी0पी0 की जनपद स्तरीय प्रशिक्षणों का संचालन मंडल स्तर पर मंडलीय उपनिदेशक–पं0 के	समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित 10 डी.पी.आर.सी. निर्मित कराये जाने हेतु जनपद / मण्डल एवं कार्यदायी संस्था का चयन शासन स्तर से किया जाएगा।	1. पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी संज्ञानित हुई। 2. पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी द्वारा डी0पी0आर0सी0 भवन, जिसमें पृथक से राज्यांश के रूप में प्राविधानित कराए जाने वाली धनराशि रू0 59.32 लाख की आवश्यकता पर असहमति व्यक्त करते हुए यह निर्णय लिया गया कि भवन का निर्माण समस्त आवश्यक संसाधनों सहित 2 करोड़ प्रति डी0पी0आर0सी0 के

			पर्यवेक्षण में एवं मंडलायुक्त के निर्देशन में किया जाएगा। • उक्त कार्य हेतु मंडल स्तर पर एक समिति का प्रस्ताव है जोकि अपने पर्यवेक्षण में मंडल स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित कराएगी। इसके अध्यक्ष सम्बन्धित मंडलायुक्त एवं सदस्य सचिव सम्बन्धित उपनिदेशक–पं० होना प्रस्तावित है। • सैद्वान्तिक रूप भारत सरकार द्वारा 25 डी0पी0आर0सी0 को स्वीकृत करते हुए 10 डी0पी0आर0सी0 को निर्माण कार्य हेतु धन अवमुक्त किया जाएगा परन्तु समस्त 25 डी0पी0आर0सी0 हेतु फैकल्टी सहयोग करते हुए रिकरिंग धनराशि अवमुक्त की जाएगी। अतः प्रस्ताव है कि रिकरिंग धनराशि (फैकल्टी, फर्नीचर, टेलीफोन, कम्प्यूटर, भवन किराया एवं अन्य विविध व्यय सम्मिलित) स्टेट से उपनिदेशक–पं0 के मंडल स्तरीय खाते में अवमुक्त किए जाएगा। समिति कम से कम दो बैठक के माध्यम से प्रशिक्षण व्यय, भवन किराये एवं विविध व्यय, फैकल्टी रखे जाने हेतु स्वतंत्र होगी।		अन्दर ही किया जाए एवं तदानुसार पुनः मानकीकरण हेतु प्रस्ताव ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को प्रेषित् किए जाने की संस्तुति प्रदान की गई। 3. समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि पंचायत राज द्वारा निर्मित रिसोर्स सेंटरों का नाम "जिला पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास रिसोर्स सेन्टर" रखा जाए, इसी प्रकार से ग्राम्य विकास द्वारा संचालित प्रशिक्षण संस्थानों का नाम "जनपद ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान" रखा जाए, ताकि दोनों विभागों के प्रशिक्षण कार्य समस्त 75 जनपदों में सुगमतापूर्वक कराए जा सकें। उक्त रूप से प्रस्ताव कृषि उत्पादन आयुक्त उ0प्र0 शासन के स्तर से प्रस्तुत किए जाने के निर्देश प्रदान किए गये। 4. उक्त रूप से रिसोर्स सेन्टरों का संचालन उपनिदेशक(पं.), सम्बन्धित मण्डल द्वारा किया जायेगा, जिसके लिए अतिरिक्त किसी पद का सृजन नहीं किया जायेगा। 5. इस संबंध में आवश्यकतानुसार स्टेट रिव्यू कमेटी को निर्णय हेतु अधिकृत किया गया।
	कुल धनराशि रू.	2000.00 Lakhs			

(5) डी0पी0आर0सी0 संस्थागत ढ़ाचागत व्यवस्था–हेतु आवार्ती लागत (रिकरिंग कॉस्ट)–

1	राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान(प्रिट) हेतु 4 फैकल्टी, 2 डाटा इंट्री आपरेटर एवं 1 चपरासी का	40.00 लाख	फैकल्टी आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा पर चयनित करने का प्रस्ताव। प्रशिक्षण फैकल्टी में चार सोशल सेक्टर एक्सपर्ट (एम0बी0ए0 रूरल	समिति द्वारा सहमति प्रदान की गई।	1. पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी संज्ञानित हुई। 2. कमेटी द्वारा राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान हेतु भारत सरकार से प्राप्त आवर्ती लागत दिये जाने

	सहयोग अनुमोदित–एक साल हेतु		डेवलेपमेंट/सोशल साइंस में परास्नातक एवं उच्च डिग्री) जिनका प्रशिक्षण एवं रिसर्च में वृहद स्तरीय– कम से कम 8 से 10 साल का अनुभव हो, पर निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है। इसी प्रकार से अन्य कर्मी भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से चयनित किया जाना प्रस्तावित है।		पर असहमति व्यक्त की गई, क्योंकि संस्थान को राज्य स्तर पर यह धनराशि राज्य वित्त आयोग की 0.15 प्रतिशत की धनराशि से दिया जाना प्रस्तावित है। अतः पृथक से संस्थान को धनराशि तब तक उपलब्ध नहीं करायी जायेगी, जब तक संस्थान द्वारा राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि व्यय नहीं कर ली जायेगी। इस संबंध में दो स्रोतों से धनराशि एक ही कार्य पर व्यय नहीं किये जाने का निर्णय समिति द्वारा लिया गया। 3. इस संबंध में आवश्यकतानुसार स्टेट रिव्यू कमेटी को निर्णय हेतु अधिकृत किया गया।
2.	डी0पी0आर0सी0 हेतु फैकल्टी एवं रिकरिंग कास्ट हेतु धनराशि रू0 10 लाख प्रति साल प्रति डी0पी0आर0सी0 अनुमोदित– (सैद्वान्तिक रूप 25 डी0पी0आर0सी0 हेतु फैकल्टी सपोर्ट) 2 फैकल्टी, 1 डाटा इंट्री ऑपरेटर, 1 चपरासी।	250.00 lakhs	डी0पी0आर0सी0 हेतु फैकल्टी के चयन का अधिकार (1 सीनियर फैकल्टी, 1 जूनियर फैकल्टी, 1 डाटा इंट्री ऑपरेटर, 1 चपरासी) उपनिदेशक–पं0 के माध्यम से मंडल स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जाएगा। **समिति गठन के सम्बंध में पृथक से शासनादेश के माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा।**	समिति द्वारा सहमति प्रदान की गई।	1. पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी संज्ञानित हुई एवं सहमति प्रदान की गई।

(6) ई–गवर्नेंस अन्तर्गत टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप–

1.	राज्य में कार्यरत ई–गवर्नेंस यूनिट को राज्य समर्थित योजना से किया जाना अनुमोदित, (4 तकनीकी परामर्शी 1 डाटा इंट्री ऑपरेटर, 1 चपरासी)	–	वित्तीय भार राज्य समर्थित डा0 राम मनोहर लोहिया सशक्तीकरण योजना/एच0आर0फार0ई0 गवर्नेंस मद से किया जाना प्रस्तावित है।	समिति द्वारा सहमति प्रदान की गई।	पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी संज्ञानित हुई एवं सहमति प्रदान की गई।

	निक्सी में स्थित राज्य स्तर पर हेल्प डेस्क यूनिट को सपोर्ट अनुमोदित–3 एक्सक्यूटिव एवं 1 आफिस असिसटेंट– एक साल की अवधि तक।	15.60 lakhs	• वर्तमान में निक्सी में हेल्प डेस्क संचालित की जा रही है। • उक्त कार्य हेतु धनराशि रू0 747869.00 का व्यय एच0आर0फॉर ई गवर्नेंस मद (कार्यक्रम प्रबंधन मद) से व्यय किया गया था। अतः भारत सरकार से इस मद में धनराशि प्राप्ति पर व्यय धनराशि एच0आर0फॉर ई गवर्नेंस मद में वापस किया जाना प्रस्तावित है।	समिति द्वारा सहमति प्रदान की गई।	**पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी संज्ञानित हुई एवं सहमति प्रदान की गई।**
3.	मंडल स्तर पर 18 मंडलीय तकनीकी कर्मी– एक साल की अवधि तक रू0 40 हजार प्रतिमाह।	86.40 lakhs	पूर्व कार्यरत अनुभवी डी0पी0एम0 को मंडल स्तर पर करते हुए नए रिक्त पदों पर बी0टेक0 एवं अनुभवी विशेषज्ञों को संविदा के आधार पर आउटसोर्सिंग– निक्सी के माध्यम से किया जाना है। उनका मानदेय वर्तमान में इस पद पर दिए जा रहे अधिकतम स्वीकृत मानदेय के अन्तर्गत दिया जाना प्रस्तावित है।	समिति द्वारा सहमति प्रदान की गई।	**पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी संज्ञानित हुई एवं सहमति प्रदान की गई।**
4.	जनपद स्तर पर कार्यरत वर्तमान डी0पी0एम0 को राज्य की योजना से सपोर्ट	-	वित्तीय भार राज्य समर्थित डा0 राम मनोहर लोहिया सशक्तीकरण योजना /एच0आर0फार0ई0 गवर्नेंस मद से किया जाना प्रस्तावित है।	समिति द्वारा सहमति प्रदान की गई, वर्तमान में डी.पी.एम. के मानदेय ढाचे के अनुरूप मण्डल स्तर के डी.पी.एम. को भी मानदेय दिये जाने पर सहमति प्रदान की गई।	**1. पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी संज्ञानित हुई।** **2. इस प्रकार से जनपद स्तर पर दो डी.पी.एम. (1 का व्यय भार राज्य सरकार द्वारा संचालित डा. राम मनोहर लोहिया सशक्तीकरण योजना से ई–गर्वनेन्स के कार्यों हेतु एवं दूसरे का व्यय भार केन्द्र सरकार द्वारा संचालित आर.जी.पी.एस.ए./आर.जी.एस.ए. द्वारा) किये जाने पर कमेटी द्वारा सहमति प्रदान की गई।**
	कुल धनराशि रू.	102.00 lakhs			

(7) राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई–

	एस0पी0एम0यू0 में ग्राम पंचायत विकास योजना एवं क्षमता संवर्द्धन एवं मॉनीटरिंग हेतु 3 सामाजिक कन्सलटेंट रू0 60 हजार प्रतिमाह की दर से, 2 डाटा इंट्री आपॅरेटर–रू0 25000 की दर से, 1 प्रोग्रामर 40 हजार की दर से एवं 1 चपरासी 10 हजार की दर से स्वीकृत।	34.80 lakhs	• योजना अन्तर्गत वर्तमान में 2 राज्य परामर्शी एवं 2 डाटा इंट्री आपरेटर योजना में कार्यरत हैं, राज्य स्तर पर कार्यरत दो परामर्शियों एवं आपरेटर को योजना में वर्ष 2016–17 हेतु स्वीकृत मानदेय दिया जाना प्रस्तावित है। • इसके अतिरिक्त एक प्रोग्रामर की सेवाएं जी0पी0डी0पी0 में ली जा रही है, जिसका मानदेय भुगतान बी0आर0जी0 एफ0 कार्यक्रम से किया जा रहा है, को कार्यक्रम प्रबंधन मद में किया जाना प्रस्तावित है।	समिति द्वारा राज्य परामर्शियों को पूर्व के अनुबन्ध के नियमानुसार भुगतान किये जाने पर सहमति प्रदान की गई। समिति द्वारा प्रोग्रामर की सेवाएं आवश्यकता/औचित्य पाये जाने पर नोडल अधिकारी, आर. जी.पी.एस.ए., पंचायती राज, उ.प्र. द्वारा पृथक से प्रस्ताव भेजने पर सहमति प्रदान की गई।	पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी संज्ञानित हुई एवं सहमति प्रदान की गई।
2.	डी0पी0एम0यू0 में ग्राम पंचायत विकास योजना एवं क्षमता संवर्द्धन एवं मॉनीटरिंग हेतु नवीन पदो के सृजन में 75 कन्सलटेंट (सहायक जिला परियोजना प्रबंधक) रू0 40 हजार प्रतिमाह की दर से, एक साल के लिए स्वीकृत।	360.00 lakhs	डी0पी0एम0यू0 के स्वीकृत नवीन पदों हेतु बी0टेक0 एवं अनुभवी विशेषज्ञों को संविदा के आधार पर आउटसोर्सिंग –निक्सी के माध्यम से किया जाना है। उनका मानदेय वर्तमान में इस पद पर दिए जा रहे अधिकतम स्वीकृत मानदेय के अन्तर्गत दिया जाना प्रस्तावित है।	समिति द्वारा सहमति प्रदान की गई।	पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी संज्ञानित हुई एवं सहमति प्रदान की गई।
	कुल धनराशि रू.	394.80 lakhs			

(8) आई0ई0सी0–

1.	नियोजन प्रक्रिया एवं मॉडल ग्राम पंचायत के प्रसार हेतु हैडबुक, टेम्पलेट, ब्राशर एवं अन्य माध्यमों से प्रसार हेतु लागत का 1 प्रतिशत स्वीकृत	113.50 lakhs	अनुमोदित धनराशि की प्राप्ति पर आई0ई0सी0 हेतु ब्राशर, जिंगलए समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से प्रसार किया जाने का प्रस्ताव है।	समिति संज्ञानित हुई एवं निर्णय लिया गया कि पृथक से कार्ययोजना बनाकर प्रस्तुत की जाय।	1. पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी संज्ञानित हुई। 2. पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी द्वारा स्टेट रिव्यू कमेटी द्वारा लिए गए निर्णयों पर सहमति प्रदान की गई।
	कुल धनराशि रू.	113.50 lakhs			

माननीय कमेटी के अवगतार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत।

एजेण्डा बिन्दु–3– (5)– डी.पी.आर.सी. का विवरण ▪ भारत सरकार द्वारा मंडल एवं जनपद स्तर पर 25 डी0पी0आर0सी0.(जहॉ डी.आई.आर.डी./	1. पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी

आर.आई.आर.डी. स्थापित नहीं है) पर सैद्धान्तिक स्वीकृति देते हुए, निर्माण हेतु 10 डी.पी.आर.सी. स्वीकृत।

- अतः उक्त रूप से भी प्रत्येक डी.पी.आर.सी. हेतु लगभग धनराशि रू0 59.325 लाख की दर से कुल रू0 593.25 लाख के बजट की व्यवस्था राज्यांश के रूप में किया जाना प्रस्तावित।
- निम्नानुसार स्पेसिफिकेशन पर डी.पी.आर.सी के डिजाइन तथा प्राक्कलन का मानकीकरण कराये जाने के पश्चात बजट प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्णय स्टेट रिव्यू कमेटी द्वारा लिया गया।

S. No.	Head	Area	No.	Est. Budget (Rs. in Lakh)
	CENTRAL Share for 1 DPRC– 2 Crore			
1.	Administrative Building	250 sq.mt.	1	
2.	Lecture Hall	150 sq mt.	1	
3.	Computer Lab	150 sq.mt.	1	
4.	Seminar cum Conference hall	400 sq.mt.	1	
5.	2 Bedroom set hostel	100 sq.mt.	1	
6.	Security Guard Living Room	50 sq mt	1	
7.	Class-IV employee Room	50 sq.mt.	1	
8.	Submersible pump		1	0.50
	Total constructed area required Total area required for DPRC	1150 sq.mt Min. 2500 sq.mt.		1150x17300 = 198.95
	Total Central Share cost per DPRC			199.45
	STATE Share (Recurring cost) for 1 DPRC			
9.	Boundary wall construction and area development		1	10.00
10.	Equipment's for computer lab			30.00
11.	Furniture for Computer center			10.00
12.	Cost of 02 Mbps. internet lease line and installation			5.00
13.	Electricity charges (yearly approx.)			1.50
	Sub-Total			56.50
14.	Contingency cum Administrative cost (05% of total cost)			2.825
	State Share cost per DPRC State share for 43 DPRCs 59.325x43			59.325 2550.975

समिति से स्वीकृति निवेदित।

संज्ञानित हुई।

2. पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी द्वारा डी0पी0आर0सी0 भवन, जिसमें पृथक से राज्यांश के रूप में प्राविधानित कराए जाने वाली धनराशि रू0 59.32 लाख की आवश्यकता पर असहमति व्यक्त करते हुए यह निर्णय लिया गया कि भवन का निर्माण समस्त आवश्यक संसाधनों सहित 2 करोड़ प्रति डी0पी0आर0सी0 के अन्दर ही किया जाए एवं तदानुसार पुनः संशोधित स्पेशीफिकेशन के मानकीकरण हेतु प्रस्ताव ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को प्रेषित् किए जाने की संस्तुति प्रदान की गई।

एजेण्डा बिन्दु–4– कार्यक्रम के अन्तर्गत स्टेट रिव्यू कमेटी एवं कार्यकारी समिति को अधिकारों का प्रतिनिधायन।

- वार्षिक कार्ययोजना के अन्तर्गत कार्यो के क्रियान्वयन के लिए स्टेट रिव्यू कमेटी को अधिकृत करना निवेदित।
- कार्यक्रम प्रबन्ध इकाई से सम्बन्धित होने वाले समस्त व्यय एवं प्रशासनिक कार्यो पर कार्यकारी समिति द्वारा निर्णय लिये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन निवेदित है।
- आर.जी.पी.एस.ए. (राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान) के अन्तर्गत निर्गत समस्त धनराशि के अनुश्रवण एवं शासन को आख्या प्रेषित करने की जिम्मेदारी कार्यकारी समिति की होगी।
- कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों का मानदेय, यात्रा/दैनिक भत्ता, कार्यालय मद, वाहन किराया एवं राज्य स्तर पर उपनिदेशक(पं.)/नोडल अधिकारी, आर.जी.पी.एस.ए. द्वारा राज्य स्तर पर त्वरित कार्यो के निष्पादन हेतु प्रशासनिक मद में उपलब्ध धनराशि से रू. 50,000/– प्रतिमाह, जिसमें अधिकतम रू. 10,000/– प्रति बिल व्यय करने की स्वीकृति एवं एकल हस्ताक्षर से धनराशि का आहरण किये जाने का प्रस्ताव।

1. पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी संज्ञानित हुई।

2. पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी द्वारा प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई।

अंत में अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई ।

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन/
सदस्य सचिव, पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी,
राजीव गॉधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान।

उत्तर प्रदेश शासन
पंचायती राज अनुभाग–3
संख्या–2795 /33–3–2016–60/2016
लखनऊ: दिनांक: 11 नवम्बर, 2016

संख्या व दिनांकः– तदैव।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. स्टाफ ऑफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0।
3. संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, पंचायती राज, उ0प्र0
5. समस्त सदस्यगण पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी।

(एस0पी0 सिंह)
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।